

जनक सिंह और एक अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अप्रैल 19,2004

[दोराईस्वामी राजू और अरिजीत पासायत, न्यायाधिपतिगण]

दंड संहिता, 1860; धारा 242 आर/डब्ल्यू धारा 34: हत्या-अभियुक्त और उसके साथी की अन्वीक्षा - संयुक्त दायित्व - चश्मदीद गवाहों की गवाही पर भरोसा - निचली अदालत ने दोनों अभियुक्तों को धारा 302 सपठित 34 के तहत अपराधों के लिए संयुक्त रूप से दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई-उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि - अपील पर, अभिनिर्धारित, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, धारा 34 लागू होती है - चूंकि प्रत्यक्षदर्शी का प्रत्यक्ष साक्ष्य यह था कि आरोपी ने बंदूक चलाकर हत्या की, इसलिये गवाह के बयान और दूरी से संबंधित चिकित्सा राय के बीच असंगति का कोई महत्व नहीं होगा - गवाहों के साक्ष्य में कोई ध्यान देने योग्य विसंगति नहीं पाई गई - इस प्रकार विश्वसनीय - चूंकि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय पर्याप्त, ठोस और प्रासंगिक साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं, इसलिए दोषसिद्धि में भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के

तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है -भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 136 धारा 34-सामान्य इरादा-संयुक्त दायित्व-चर्चा का दायरा।

मृतक के पिता ने मृतक सहित अपने तीन बेटों में से प्रत्येक को लगभग 30 बीघा जमीन वसीयत की, जो निःसंतान था और पहले आरोपी के साथ रहता था और बाद में पीडब्लू1 के साथ रहने लगा। मृतक की भूमि जो पहले अभियुक्त द्वारा खेती की जा रही थी, पी. डब्ल्यू. 1 के कब्जे में आ गई। मृतक पी. डब्ल्यू. 1 के पक्ष में अपने स्वामित्व वाली भूमि के संबंध में एक वसीयत भी निष्पादित करना चाहता था। इसके संबंध में, जब मृतक पीडब्लू1 और पीडब्लू7 के साथ अदालत की ओर बढ़ रहा था, तो आरोपी ने घातक हथियारों से लैस अपने साथी के साथ मृतक को पीडब्लू1 के पक्ष में वसीयत को निष्पादित करने से रोका और उस पर गोलियां चला दीं। वह नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चूंकि पीडब्लू1 और पीडब्लू7 ने मृतक को बचाने की कोशिश की, इसलिए अभियुक्तों ने उन पर भी गोली चला दी। पीडब्लू1 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने मामले की जांच की और दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। विचारण कोर्ट ने चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य को विश्वसनीय और ठोस पाया और आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा

सुनाई। अपील पर, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की पुष्टि की गई। इसलिए वर्तमान अपील।

अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि पीडब्लू 1 का साक्ष्य विश्वसनीय और ठोस नहीं था; कि पीडब्लू 1 के साक्ष्य और मृतक के शरीर में पाई गई चोटों पर चिकित्सा राय के बीच स्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य विसंगति थी; और यह कि आईपीसी की धारा 34 का वर्तमान मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया :

1.1. प्रत्यक्षदर्शी का प्रत्यक्ष सबूत यह था कि आरोपी ने बंदूक से गोली चलाकर हत्या की है; प्रस्तावित चिकित्सा राय के आधार पर दूरी से संबंधित कुछ विसंगति का कोई महत्व नहीं होगा। [382 - ई-एफ]

करनैल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. (1971) एस. सी. 2119 -पर भरोसा व्यक्त किया।

1.2 . आई. पी. सी. की धारा 34 किसी आपराधिक कृत्य को करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित की गई है। यह धारा केवल साक्ष्य का एक नियम है और एक ठोस अपराध नहीं बनाती। इस धारा की विशिष्ट विशेषता कार्रवाई में भागीदारी का तत्व है। सामान्य इरादे का प्रत्यक्ष प्रमाण शायद ही कभी उपलब्ध होता है और इसलिए, इस तरह के

इरादे का अनुमान केवल मामले के सिद्ध तथ्यों और सिद्ध परिस्थितियों से माने आने वाली परिस्थितियों से ही लगाया जा सकता है। सामान्य इरादे के आरोप को सामने लाने के लिये, अभियोजन पक्ष को सबूतों से, चाहे वह प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य हो, यह स्थापित करना होगा कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने उस अपराध को करने की योजना बनाई थी या एक मत थे, जिसके लिए उन पर आई. पी. सी. की धारा 34 की सहायता से आरोप लगाया गया है, चाहे वह पूर्व-व्यवस्थित हो या पल भर में; लेकिन यह आवश्यक रूप से अपराध करने से पहले होना चाहिए। धारा की वास्तविक सामग्री यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति जानबूझकर संयुक्त रूप से कोई कार्य करते हैं, तो कानून में स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि उनमें से प्रत्येक ने इसे व्यक्तिगत रूप से स्वयं किया हो। [382 - जी, एच; 383-ए-बी]

1.3 . जब किसी अभियुक्त को धारा 302 सपठित 34 के तहत दोषी ठहराया जाता है, तो कानूनी रूप से इसका अर्थ है कि अभियुक्त उस कार्य के लिए उत्तरदायी है जो मृतक की मृत्यु का कारण बना, जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया था। इस प्रावधान का उद्देश्य एक ऐसे मामले को पूरा करना है जिसमें किसी पक्ष के व्यक्तिगत सदस्यों के कार्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है जो सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता हैं या वास्तव में साबित करना कि उनमें से

प्रत्येक ने क्या भूमिका निभाई थी। आई. पी. सी. की धारा 34 मामले के तथ्यों पर स्पष्ट रूप से लागू होती है, और इस प्रकार इसे सही और उचित रूप से लागू भी किया गया है। [383 - जी; 384-ई-एफ]

अशोक कुमार बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. (1977) एस. सी. 109; महबूब शाह बनाम एम्परर एआईआर (1945) प्रिवी काउंसिल 118; चौ. पुल्ला रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ए. आई. आर (1993) एस. सी. 1899; विली (विलियम) स्लेनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर (1956) एससी 116 और धन्ना आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. (1996) एस. सी. 2478, पर भरोसा व्यक्त किया ।

1.4 . पीडब्लू 1 को चोटें आई थीं। उसके साक्ष्य का अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया था और इसे खारिज करने के लिए उसके साक्ष्य में कोई ध्यान देने योग्य विसंगति नहीं पाई गई। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय पर्याप्त, ठोस और प्रासंगिक साक्ष्य द्वारा समर्थित निष्कर्षों और उसमें दर्ज निष्कर्षों के साथ अच्छी तरह से तर्कपूर्ण हैं और परिणामस्वरूप दोषसिद्धि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी देने के लिए किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। [384 - एफ-जी]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील सं. 924/2001

आपराधिक अपील संख्य 1742/1980 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 9/11/2000 से

यू आर ललित, अनुराग दुबे, के बी उपाध्याय, आदित्य दुबे, ए के तिवारी, सुश्री शालिनी रंजन, मनीष कुमार और एस. आर. सेतिया, अपीलार्थीगण के लिये।

समीर अली खान और जतिंदर कुमार भाटिया, प्रतिवादी के लिये।

न्यायालय का निर्णय अरिजीत पसायत, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.')

 की धारा 302 सपठित 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिये विचारण अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली, जिसने विवादित फैसले द्वारा दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा।

मुकदमे के दौरान सामने आया अभियोजन पक्ष का विवरण इस प्रकार है:

दुर्गा सिंह की मृत्यु के बाद, उसके तीन बेटों में से प्रत्येक लगभग 30 बीघे जमीन के मालिक बन गये। उनमें से एक, खेत्रपाल (इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित) निःसंतान था। पहले खेत्रपाल आरोपी जनक

सिंह के साथ रहता था और बाद में वह उस जमीन पर खेती करता था जो खेत्रपाल के हिस्से में भी आती थी । लेकिन प्रश्नगत घटना से लगभग 1-1/2 साल पहले खेत्रपाल ने भुरी सिंह (पीडब्लू-1) के साथ रहना शुरू कर दिया। खेत्रपाल सिंह की भूमि, जिस पर पहले जनक सिंह खेती करते थे, भुरी सिंह के कब्जे में आ गई। यह बात आरोपी जनक सिंह को नापसंद थी। खेत्रपाल भुरी सिंह के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित करना चाहते थे। घटना की तारीख यानी सुबह करीब 10 बजे खेत्रपाल, भुरी सिंह (पीडब्लू-1) और सुरजीत सिंह (पीडब्लू-7) के साथ वसीयत के निष्पादन के लिए एतमादपुर तहसील की ओर बढ़ रहे थे और जब वे गड्ढे के पास पहुंचे तो आरोपी जनक सिंह एक देशी पिस्तौल से लैस और आरोपी सर्वेश एक बंदूक के साथ वहां पहुंच गए और खेत्रपाल से पूछताछ की कि क्या वह भुरी सिंह के पक्ष में वसीयत निष्पादित करने जा रहा है और जब खेत्रपाल ने सकारात्मक जवाब दिया, तो जनक सिंह ने कहा कि वह उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा। इसके बाद दोनों आरोपियों जनक सिंह और सर्वेशनेखेत्रपाल पर गोलियां चला दी, जो गोली लगने से खेत्रपाल जमीन पर गिर पडा। जब भुरी सिंह और सुरजीत सिंह (पीडब्लू-7) ने खेत्रपाल को बचाने की कोशिश की, तो उन पर भी आरोपी व्यक्तियों ने गोली चला दी और उनके हाथ में भी गोली लग गई। जब मृतक खेत्रपाल जमीन पर गिर गया तो आरोपी सर्वेश ने अपनी बंदूक से खेत्रपाल पर गोली चला दी,

जिसके परिणामस्वरूप खेत्रपाल की तुरंत मौत हो गई। भुरी सिंह (पीडब्लू-1) ने तब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बारे में राम सिंह ने उसी दिन दोपहर 1:30 बजे एतमादपुर पुलिस स्टेशन में बताया कि पुलिस स्टेशन की दूरी घटना स्थल से 4 मील थी। लिखित रिपोर्ट के आधार पर, हैड मोहरीर बिहारी जी यादव द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई थी और जनरल डायरी में मामला दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी महाबीर सिंह ने जांच शुरू की और भुरी सिंह और सुरजीत सिंह से थाने में ही पूछताछ की और दोनो को सिपाही लज्जा राम के साथ मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया। जाँच शुरू की गई और उसके पूरा होने पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और अभियुक्त व्यक्तियों ने अन्वीक्षा भुगती। अपने आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों को परीक्षित कराया। हालाँकि पीडब्लू-1 और 7 को चश्मदीद गवाह बताया गया था जिन्हें घटना के दौरान चोटें आई थीं, लेकिन पीडब्लू-7 ने जाँच के दौरान दिए गए बयान से इनकार कर दिया। इसलिए, अभियोजन पक्ष का मामला पीडब्लू-1 घायल चश्मदीद गवाह की गवाही पर आधारित था। विचारण न्यायालय ने पाया कि उसका साक्ष्य विश्वसनीय और ठोस था और जैसा कि उपर बताया गया है, उसे दोषसिद्धि की गई थी।

उच्च न्यायालय के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों का मुख्य रुख यह था कि पीडब्लू-1 के साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करते क्योंकि यह चिकित्सा

साक्ष्य से काफी भिन्न था। इसलिए, एक हितबद् व्यक्ति यदि अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराया जाता है तो वह लाभार्थी होगा, बिना पुष्टि के उसके साक्ष्य पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। चिकित्सा साक्ष्य की तुलना में पीडब्लू 1 के साक्ष्यो की भिन्नता के संबंध में विशिष्ट दलील दूरी के संदर्भ में थी। डॉक्टर के अनुसार, बंदूक की गोली जिससे चोट लगी थी, लगभग 3 से 4 फीट की दूरी से चलाई गई थी। पीडब्लू 1 के अनुसार, दूरी लगभग 20-25 फुट थी। विचारण न्यायालय ने देखा कि पीडब्लू-1 एक ऐसा व्यक्ति था जिसे हस्ताक्षर करना भी नहीं आता था और उसने अंगूठे का निशान दिया। दूरी के बारे में उनकी धारणा आम आदमी की है, इसलिए अनुमानित दूरी को कोई अनुचित महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के समक्ष उठाई गई इसी तरह की याचिका को भी स्वीकृति नहीं मिली।

अपील के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री यू. आर. ललित ने प्रस्तुत किया कि पीडब्लू-1 का साक्ष्य विश्वसनीय और ठोस नहीं है। उच्च न्यायालय को उनके साक्ष्य और डॉक्टर के साक्ष्य के बीच स्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य विसंगति को हल्के में लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, जिन्होंने कहा था कि मृतक के शरीर में पाई गई चोटें कम दूरी से गोली चलाने पर हो सकती हैं। इसके अलावा, ए-2 द्वारा कथित रूप से इस्तेमाल की गई बंदूक को जब्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

इससे पता चलता कि क्या चोटें आरोपी व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से इस्तेमाल की गई बंदूक के कारण हुई होंगी। पीठ पर कोई चोट नहीं थी और पीडब्लू-1 पर एकमात्र चोट भौंह के पास देखी गई थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि आई. पी. सी. की धारा 34 का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

जवाब में, राज्य के विद्वान वकील ने निर्णयों का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि साक्ष्यो के विश्लेषण पर विचारण अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किये गये समवर्ती निष्कर्षों से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए।

हम सबसे पहले चश्मदीदों के बयान और बंदूक से गोली चलाने की दूरी के बारे में चिकित्सा साक्ष्य के बीच कथित विसंगति के संबंध में याचिका पर विचार करेंगे। जहां प्रत्यक्षदर्शी का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि आरोपी ने बंदूक से गोली चलाकर हत्या की है, वहां प्रस्तावित चिकित्सा राय के आधार पर दूरी से संबंधित असंगतता का कोई महत्व नहीं होगा। [करनैल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. (1971) एस. सी. 2119- देखे]। करनैल सिंह के मामले (उपरोक्त) में भी लिया गया विचार उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुघर सिंह और अन्य, एआईआर (1978) एस. सी. 191, में भी दोहराया दोहराया गया था।

धारा 34 किसी आपराधिक कृत्य को करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित की गई है। यह धारा केवल साक्ष्य का एक नियम

है और एक ठोस अपराध पैदा नहीं करती है। इस धारा की विशिष्ट विशेषता कार्रवाई में भागीदारी का तत्त्व है। कई व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के दौरान दूसरे द्वारा किए गए अपराध के लिए एक व्यक्ति का दायित्व धारा 34 के तहत उत्पन्न होता है यदि ऐसा आपराधिक कार्य अपराध करने में शामिल होने वाले व्यक्तियों के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। सामान्य इरादे का प्रत्यक्ष प्रमाण शायद ही कभी उपलब्ध होता है और इसलिए, इस तरह के इरादे का अनुमान मामले के सिद्ध तथ्यों और सिद्ध परिस्थितियों से प्रकट होने वाली परिस्थितियों से लगाया जा सकता है। सामान्य इरादे के आरोप को सामने लाने के लिए, अभियोजन पक्ष को साक्ष्य द्वारा, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परिस्थितिजन्य, यह स्थापित करना होगा कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों की उस अपराध को करने की योजना या एक मत थे, जिसके लिए उन पर धारा 34 की सहायता से आरोप लगाया गया है; चाहे वह पूर्व-व्यवस्थित हो या पल भर में; लेकिन यह आवश्यक रूप से अपराध करने से पहले होनी चाहिए। धारा की वास्तविक सामग्री यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति जानबूझकर संयुक्त रूप से कोई कार्य करते हैं, तो कानूनी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि उनमें से प्रत्येक ने इसे व्यक्तिगत रूप से किया हो। जैसा कि अशोक कुमार बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. (1977) एस. सी. 109), में देखा गया है कि अपराध में भाग लेने वालों के बीच एक

सामान्य इरादे का अस्तित्व इस धारा को लागू करने के लिए आवश्यक तत्व है। यह आवश्यक नहीं है कि संयुक्त रूप से अपराध करने के लिए आरोपित कई व्यक्तियों के कार्य समान या समान रूप से समान होने चाहिए। कृत्य चरित्र में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन प्रावधान को आकर्षित करने के लिए उनहे एक ही सामान्य इरादे से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

जैसा कि यह मूल रूप से था, धारा 34 निम्नलिखित शब्दों में थी:

"जब एक आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी तरीके से उत्तरदायी है जैसे कि वह कार्य अकेले उसके द्वारा किया गया हो:

1870 में, इसमें "व्यक्तियों" शब्द के बाद और "प्रत्येक" शब्द से पहले "सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में " शब्दों को शामिल करके संशोधन किया गया, ताकि धारा 34 के उद्देश्य को स्पष्ट किया जा सके। इस स्थिति का उल्लेख महबूब शाह बनाम एम्परर एआईआर (1945) प्रिवी काउंसिल 118, में किया गया था।

यह धारा "सभी का सामान्य इरादा" नहीं कहती है, न ही यह "और सभी के लिए सामान्य इरादा", कहती है। धारा 34 के प्रावधानों के तहत दायित्व का सार एक सामान्य इरादे के अस्तित्व में पाया जाना है जो अभियुक्त जो इस तरह के इरादे को आगे बढ़ाने के लिए आपराधिक कार्य

करने के लिये प्रेरित करता है। धारा 34 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप, जब किसी अभियुक्त को धारा 302 सपठित 34 के तहत दोषी ठहराया जाता है, तो कानूनी रूप से इसका मतलब है कि अभियुक्त उस कार्य के लिए उत्तरदायी है जो मृतक की मृत्यु का कारण बना, जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया था। इस प्रावधान का उद्देश्य एक ऐसे मामले को पूरा करना है जिसमें किसी पक्ष के व्यक्तिगत सदस्यों के कार्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है जो सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं या यह साबित करना मुश्किल होसकता है कि उनमें से प्रत्येक ने क्या भूमिका निभाई थी। जैसा कि चौधरी पुल्ला रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, एआईआर (1993) एससी 1899, में देखा गया, भले ही खास अभियुक्त के स्वयं के द्वारा कोई चोट नहीं पहुंचाई गई हो, धारा 34 लागू होती है । धारा 34 को लागू करने के लिए अभियुक्त की ओर से कुछ स्पष्ट कार्य दिखाना आवश्यक नहीं है।

ऐसे आरोप के अभाव में आईपीसी की धारा 34 लागू करके सजा की वैधता की जांच कई मामलो में की गई थी। विली (विलियम) स्लेनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. (1956) एस. सी. 116, में इसे निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया था:

"भारतीय दंड संहिता की धारा 34,114 और 149 वास्तविक प्रतिभागियो, सहायक तत्वो और एक सामान्य उद्देश्य या एक सामान्य इरादे से सक्रिय व्यक्तियो के संबंध में विभिन्न कोणों से देखे जाने वाले आपराधिक दायित्व का प्रावधान करती है; और आरोप प्रत्यक्ष दायित्व और रचनात्मक दायित्व से जुड़ा हुआ है, यह निर्दिष्ट किए बिना कि कौन प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं और किसे रचनात्मक रूप से उत्तरदाई बनाने की मांग की गई है।

ऐसी स्थिति में, अपराध के लिये आपराधिक दायित्व के विभिन्न शीर्षको में से एक या अन्य के तहत आरोप की अनुपस्थिति को अपने आप में घातक नहीं कहा जा सकता है, और बिना किसी आरोप के मूल अपराध के लिये दोषी ठहराये जाने से पहले पूर्वाग्रह को दूर करना होगा, उसे रद्द किया जा सकता है। इस तरह के ज्यादातर मामलों में आम तौर पर शुरू से ही साक्ष्य दिया जाता है कि उस कार्य के लिये मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार था जो जिसके कारण अपराध हुआ और ऐसे साक्ष्य निश्चित रूप से प्रासंगिक है।

उपरोक्त स्थिति को धन्ना आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर (1996) एससी 2478 में दोहराया गया था।

आई. पी. सी. की धारा 34 मामले के तथ्यों पर स्पष्ट रूप से लागू होती है, और ऐसा लगता है सही और उचित रूप से भी लागू भी किया गया है।

यद्यपि पीडब्लू-1 के साक्ष्य पर इस आधार पर हमला किया गया था कि यदि आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराया जाता है तो वह लाभार्थी है, हमने पाया कि उसे चोटें लगी थीं। उसके साक्ष्य का अधीनस्थ अदालतों द्वारा सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया था और हमें उसे खारिज करने के लिए उसके साक्ष्य में कोई उल्लेखनीय विसंगति नहीं मिलती है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय पर्याप्त, ठोस और प्रासंगिक साक्ष्य द्वारा समर्थित निष्कर्षों और उसमें दर्ज निष्कर्षों के साथ अच्छी तरह से तर्कपूर्ण हैं और परिणामस्वरूप दोषसिद्धि में किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी देने के लिए कोई दुर्बलता नहीं है। यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की आवश्यकता है। अपील खारिज की जाती है। जमानत पर चल रहे अभियुक्त व्यक्तियों को शेष सजा काटने के लिए तुरंत हिरासत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

अपील खारिज की गई।

एसकेएस.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।